रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1986 (भाद्रपद 15, 1908)
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1986 (BHADRA 15, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation).

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 30 जुलाई 1986

सं० ए० डी० एम०/40081—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्तियां अधिसूचित की जाती हैं:—

श्री आर० सी० मेहता, अधिकारी, वरिष्ठ प्रबन्धन, श्रेणी-5 ने दिनांक 16 जुलाई 1986 को कारोबार की समाप्ति पर अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, औद्योगिक वित्त विभाग का कार्यभार संभाल लिया है।

श्री पी० एस० मेहरोत्रा, अधिकारी, वरिष्ठ प्रबन्धन; श्रेणी–5 ने दिनांक 24 जुलाई 1986 को कारोबार की समाप्ति पर मुख्य अधिकारी, औद्योगिक वित्त विभाग का कार्यभार संभाल लिया है।

सी० आर० विजयराघवन

मुख्य महाप्रबन्धक

(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली–110002, दिनांक 25 अगस्त 1986

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 1सी० ए० (7)/154/86—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमन 1964 में कतिपय संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कथित प्रारूप को 30 सितम्बर 1986 को अथवा उसके उपरान्त विचारार्थ ग्रहण किया जायेगा।

उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर, इंस्टीट्यूट

आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा :—

कथित नियमन में —

1. वर्तमान नियमन 48ए (4) में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किया गया है :—

(4) कोई भी सदस्य आडिट क्लर्क के रूप में किसी भी व्यक्ति को रखने में केवल उस स्थिति में अधिकृत होगा जबकि वह व्यक्ति या तो उसके अधीन या प्रैक्टिस कर रही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म, जहां वह भागीदार है, में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर चुका हो और मासिक वेतन निम्न निर्धारित दरों के अनुसार हो, यह वेतन आडिट क्लर्क के सामान्य सेवा स्थान के अनुसार निर्धारित किया गया है :—

(अ) ऐसे नगर जिनकी आबादी 20 लाख अथवा उससे ऊपर हो रु० 500 प्रति मास

(ब) 20 लाख अथवा उससे अधिक आबादी वाले नगरों के अतिरिक्त नगर/कस्बे रु० 350 प्रति मास

(2) वर्तमान नियमन 48ए (5) में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किया गया है :—

(5) इस नियमन के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी सदस्य इस नियमन की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखने के लिए इस नियमन की उपधारा (4) में अंकित दरों के अनुसार न्यूनतम मासिक वेतन देगा, यह वेतन उस क्लर्क को तब तक देता रहेगा जब तक वह इस नियमन के अनुसार उसके पास सेवारत है।

(3) नियमन 136 (2) में अंक शब्द "100 सदस्य" के लिए अंक शब्द "50 सदस्य" संशोधन किया गया है।

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

मद्रास—600 034, दिनांक 13 अगस्त 1986

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (5)/2/86-87—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4-एस० सी० ए० (1)/14/80-81 दिनांक 31 मार्च 1981, 4-एस० सी० ए० (1)/8/81-82 दिनांक 17 मार्च 1982, 3-सी० ए० (4)/15/82-83 दिनांक 30 मार्च 1983, 4-एस० सी० ए० (1)/4/82-83 दिनांक 31 मार्च 1983, 3-एस० सी० ए० (4)/10/83-84 दिनांक 31 मार्च 1984, 3-एस० सी० ए० (4)/7/85-86 दिनांक 30 सितम्बर 1985, तथा 3-सी०ए० (4)/1/85-86 दिनांक 31 मार्च 1986, के संदर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम, 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	6673	श्री मल्लादी आर० शास्त्री, एफ० सी० ए०, सर्टीफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट, 9, कारोलाइन ड्राइव, डिक्स हिल्स, एन० वाई० 11746 यू० एस० ए०	1-7-86
2.	9850	श्री जी० वामानाचार्या, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फ्लैट सं० 15, पैलेस आर्चाड एपार्टमेंट्स (वेस्ट विंग), 9 मैन, 6 क्रॉस रोड, राजमहल विलास एक्सटेंशन, बंगलौर-560 080	3-7-86
3.	11166	श्री के० जयारामन, ए०सी०ए० 4-एफ, सरावना फ्लैट्स, 30, 2 मेन रोड, गांधी नगर, अडयार, मद्रास-600 020	3-6-86
4.	14071	श्री बी० आर० विजयाकुमार, ए०सी०ए०, चीफ एकाउन्टेन्ट, मैसर्स नैशनल मिलिंग कं०, पी० ओ० बॉक्स 31980, लुसाका, जाम्बिया	23-6-86
5.	14120	श्री एच० ए० सुब्राह्मण्यम, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मारुथी कॉम्पलैक्स, 1 फ्लोर, 325, 5 मेन रोड, गांधी नगर, बंगलौर-560 009	8-7-86
6.	20265	श्री एस० वेंकटेश, ए० सी० ए० 61, राजनगर, हुबली-580 023	29-5-86
7.	20890	श्री गोपालाकृष्णनन् वेंकटरामन, ए० सी० ए०, 4, देसिका रोड, माइलापोर, मद्रास-600 004	18-6-86

1	2	3	4
8.	22780	श्री आर० भास्करा राव, एं० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 7-1-91/1, अमीरपेट, हैदराबाद-500 016	21-5-86

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1986

सं० यू० 16/53/84-चिकित्सा-3 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-83 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० रजनीकान्त ठाकुरदास मरफतिया, गायत्री अपार्टमेंट, 10/411, गांधी चौक, सूरत-395 003 को गुजरात राज्य के सूरत क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 19-8-1986 से एक वर्ष के लिए, अथवा पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, वर्तमान शर्तों पर रु० 750/- प्रति मास के पारिश्रमिक पर, चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डा० वेद प्रकाश
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1986

सं० एन० 15/13/10/6/81 यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 10-8-86 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात्—

"तहसील एवं जिला ढेन्कानाल में राजस्व ग्राम ढेन्कानाल टाउन (निजगढ़) अलसुआ, बदसाथियाबतिया समसाथियाबतिया, बनमाली प्रसाद, बंकुआल, भगवानपुर, महिसापत, कथागडा, श्यामाचरणपुर, इच्छादेईपुर कोरिहना, सिमिलिया, गुण्डीचापड़ा, बाबरासाकाटेनी और केन्दुखामम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

सं० एन० 15/13/1/14/86 यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-8-86 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात्—

"कुरनूल जिले में नान्दयाल राजस्व मण्डल के अधीन पोन्नापुरम के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

हरभजन सिंह
निदेशक (योजना एवं विकास)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1986

सं० आई०एफ०सी०/बी० एण्ड सी०/38 ए० जी० एम/86-61118—भारत के राजपत्र दिनांक 2 अगस्त, 1986, भाग-III, खण्ड-4 के पृष्ठ संख्या 1341 पर छपी सूचना दिनांक 17 जुलाई, 1986 का शुद्धि-पत्र :

1. सूचना की संख्या 22/86 के स्थान पर 2/86 पढ़ी जाए।
2. पैरा—1 (1) की अन्तिम पंक्ति "परीक्षकों पर विचार करना" के स्थान पर "परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना" पढ़ी जाए।

सुदर्शन कुमार ऋषि
महाप्रबन्धक

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 अगस्त 1986

सं० पी० IV/1(13)/84/ए—केन्द्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 की 19) की धारा 5-ब की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियम, 1962 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियम, 1962, विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"6. परिवीक्षा :—(1) संबंधित भर्ती नियमों/विनियमों में जब तक अन्य बात उपबंधित न हो, प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा पद पर नियुक्त किया गया हो, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ।

परन्तु नियुक्त करने वाले अधिकारी उपयुक्त मामलों में सामान्यता परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकता और किन्हीं विशेष कारणों से परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष से अधिक भी बढ़ाई जा सकती है परन्तु किसी भी मामले में, किसी भी पद पर, किसी कर्मचारी की कुल परिवीक्षा की अवधि नहीं होगी । बशर्ते कि, गत परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद आठ सप्ताह के भीतर सामान्यत: परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाने का निर्णय ले लेना होगा और संबंधित कर्मचारी को परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाने का कारण बताते हुए लिखित रूप में सूचित करना होगा ।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसकी किसी बढ़ी हुई अवधि को पूरा करने पर, यदि कर्मचारी स्थायी नियुक्ति के लिए पात्र समझे जाएं तो उन्हें नियमित आधार पर रखा जाएगा और उचित समय पर उपलब्ध पद रिक्तियों के विरुद्ध उन्हें जैसा भी मामला हो स्थायी किया जाएगा ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति अधिकारी का यह मत है कि कोई कर्मचारी स्थायी नियुक्ति का पात्र नहीं है तो ऐसा अधिकारी, उन कारणों को लिखित में रिकार्ड करते हुए उसे सेवामुक्त अथवा उस पद पर नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा ग्रहण किए गए पद पर, जैसा भी मामला हो, प्रत्यावर्तित कर सकता है ।

(4) परिवीक्षा अवधि या उस के बढ़ाए जाने के दौरान प्रत्येक कर्मचारी, जिसकी प्रारम्भिक भर्ती सीधी हुई है, को ऐसी निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी जो परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक हो ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी अपनी स्वेच्छाधिकार से सेवा की निरंतर अवधि को उस पद में परिवीक्षा अवधि के रूप में गणना कर सकता है जिसके दौरान किसी कर्मचारी ने सफलतापूर्वक किसी पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है ।"

(ख) विनियम 6-क के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"6ख अर्धस्थाई :—किसी भी अस्थायी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूरी होने पर उसे अर्धस्थायी समझा जायेगा बशर्ते उसने निरन्तर 3 वर्ष तक अस्थायी सेवा की हो और नियुक्तिकर्ता अधिकारी उसके कार्य, आचरण तथा चरित्र के बारे में पूर्णत: संतुष्ट हो और इस सम्बंध में कि वह अर्धस्थायी नियुक्ति के पात्र हैं, के बारे में घोषणा करें ।

(ग) 8 विनियम के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"8क भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करने का उत्तरदायित्व :— इस संगठन का प्रत्येक कर्मचारी भारत में स्थित इस संगठन के किसी भी कार्यालय में, किसी भी स्थान पर सेवा करने का उत्तरदायी होगा और इस कार्य के हित में निर्देशानुसार भारत में किसी भी स्थान का दौरा करेगा ।

बी० का० भट्टाचार्य
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
और
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड
कर्मचारी भविष्य निधि

पाद टिप्पणी :—

1. भारत के राजपत्र भाग-II, धारा 3(1) दिनांक 19 मई, 1962 में प्रकाशित मूल विनियम देखें सा० सा० नि० सं० 691 ।

देखें संशोधित विनियम :

2. जी० एस० आर० नं० 1483 दिनांक 15 सितम्बर 1963, 14-9-63 को प्रकाशित ।
3. जी० एस० आर० नं० 592 दिनांक 31-3-1964, 11-4-64 को प्रकाशित ।
4. जी० एस० आर० नं० 896 दिनांक 2 जून 1966
5. जी० एस० आर० नं० 1824 दिनांक 21 नवम्बर 1966
6. जी० एस० आर० नं० 127 दिनांक 17 जनवरी 1967
7. जी० एस० आर० नं० 127, दिनांक 28 जनवरी 1967
8. जी० एस० आर० नं० 787 दिनांक 16 मई 1970
9. जी० एस० आर० नं० 1155 दिनांक 7 अगस्त 1971
10. जी० एस० आर० नं० 1602 दिनांक 30 अक्तूबर 1971
11. जी० एस० आर० नं० 149 दिनांक 7 जनवरी 1972
12. जी० एस० आर० नं० 88 दिनांक 8-1-1972
13 जी० एस० आर० नं० 533 दिनांक 26-5-1973
14. जी० एस० आर० नं० 547 दिनांक 26-5-1973

15. जी० एस० आर० नं० 591 दिनांक 2-6-1973

16. जी० एस० आर० नं० 645 दिनांक 16-6-1973

17. सरकारी अधिसूचना सं० 19,30/69 पी० एफ० आई० दिनांक 17-6-1975

18. अधिसूचना नं० ए-12018/74-पी० एफ० आई० दिनांक 25-8-76

19. जी० एस० आर नं० 645 दिनांक 16-6-1977

20. जी० एस० आर० नं० शून्य दिनांक 28-10-1978

21. अधिसूचना सं० एडीएम (आर-II) 14 (7) 80/35813 दिनांक 23-12-1980

22. जी० एस० आर० सं० शून्य दिनांक 7 नवम्बर 1981 भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड-4 में प्रकाशित।

23. अधिसूचना सं० पी-III/एडीएम आर-II/14(1)81/79169 दिनांक 1-12-1984 भारत के राजपत्र, भाग-III खण्ड-4 में प्रकाशित।

24. अधिसूचना सं० पी०-III/एडीएम० आर-II/16(63) 79/ए०पी० दिनांक 29 दिसम्बर 1984 को भारतीय राजपत्र के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 30th July 1986

No. ADM/40081.—The following appointments on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri R. C. Mehta, Officer, Senior Management Grade Scale V, has assumed charge as Additional Chief Officer, Industrial Finance Department, as at the close of business on July 16, 1986.

Shri P. S. Mehrotra, Officer, Senior Management Grade Scale V, has assumed charge as Chief Officer, Industrial Finance Department, as at the close of business on July 24, 1986.

Sd./- ILLEGIBLE
Chief General Manager
(Personnel and H.R.D.)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 28th August 1986

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/154/86.—The following draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken up for consideration on or after 30th September, 1986.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the specified date will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

In the said Regulations :—

I. For the existing Regulation 48A(4), substitute the following :—

(4) A member shall be entitled to engage a person as an audit clerk only if such person had been in service as a salaried employee for a minimum period of one year either under him or in the firm of chartered accountants in practice wherein he is a partner, on a monthly remuneration at the rates specified below, depending upon where the normal place of service of the audit clerk is situated :—

(a) Cities with a population of 2 millions and above .. Rs. 500/- per month.

(b) Cities/towns other than those having a population of more than 2 millions .. Rs. 350/- per month.

II. For the existing Regulation 48A(5), substitute the following :—

(5) A member registering under these Regulations, the service of the person referred to under sub-regulation (4) of this regulation shall pay a minimum monthly remuneration at the rates specified in sub-regulation (4) of this regulation, to the clerk during the period he is in service with him in accordance with these Regulations.

III. In Regulation 136(2), substitute the figure word "50 members" for the figure word "100 members".

R. L. CHOPRA
Secretary

Madras-600034, the 13th August 1986

(CHARTERED ACCOUNTS)

No. 3 SCA (5)/2/86-87—With reference to this Institute's Noti-fication Nos. 4 SCA (1)/14/80-81 dated 31st March 1981, 4 SCA (1)/8/81-82 dated 17th March 1982, 3 CA (4)/15/82-83 dated 30th March 1983, 4 SCA (1)/4/82-83 dated 31st March 1983, 3 SCA (4)/10/83-84 dated 31st March, 1984, 3 SCA (4)/7/85-86 dated 30th September 1985, 3CA (4)/1/85-86 dated 31st March, 1986 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	6673	Shri Malladi R. Shastry, FCA, Certified Public Accountant 9, Caroline Drive, Dix Hills, N.Y. 11746 U.S.A.	01-07-1986
2.	9850	Shri G. Vamanacharya, ACA, Chartered Accountant, Flat No. 15 Palace Orchard Apts (West Wing), 9th Main, 6th Cross Road, Rajmahal Vilas Extension, Bangalore-560080.	03-07-1986

1	2	3	4
3.	11166	Shri K. Jayaraman, ACA 4-F, Saravana Flats, 30, 2nd Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Madras-600020.	03-06-1986
4.	14071	Shri V.R. Vijayakumar, ACA, Chief Accountant, M/s. National Milling Co., P.O. Box 31980. Lusaka, Zambia.	23-06-1986
5.	14120	Shri H.A. Subrahmanyam, FCA, Chartered Accountant, Maruthi Complex, 1st Floor, 325, V Main Road, Gandhi Nagar, Bangalore-560009.	08-07-1986
6.	20265	Shri S. Venkatesh, ACA 61, Rajnagar, Hubli-580023.	29-05-1986
7.	20890	Shri Gopalakrishnan Venkataraman, ACA, 4, Desika Road, Mylapore, Madras-600004.	18-06-1986
8.	22780	Shri R. Bhaskara Rao, ACA, Chartered Accountant, 7-1-91/1, Ameerpet, Hyderabad-500016.	21-05-1986

R.L. CHOPRA,
Sectary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 14th August 1986

No. U-16/53/84-Med.III(Guj.) :—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G), dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. Rajnikant Thakardas Marfatia, Gayatri Apartment, 10/411, Gandhi Chowk, Surat-395003, to function as medical authority for Surat centre in Gujarat with effect from 19th August, 86, for a period of one year, or till a Full-Time Medical Reference joins, whichever is earlier, on the existing terms and conditions at the date of Rs. 750/- per month consolidated, for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. VED PRAKASH
Medical Commissioner.

New Delhi, the 19th August 1986

No. N./15/13/10/6/81-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulations 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 10-8-1986 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

"The area comprising the revenue villages of Dhenkanal town (Nizgarh), Alsua Badasatmiabatia, Sanasathiabatia, Banamaliprasad Banpral, Bhagbanpur, Mahispat, Katragada. Shyamacharanpur, Ichhadeipur, Korihna, Similia, Gundichapada, Babarakateni and Kendukhanam in the Tehsil and District of Dhenkanal".

No. N. 15/3/1/14/86-P&D :—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-8-1986 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The area within the revenue village of Ponnapuram under Nandyal revenue mandal in Kurnool Distt."

HARBHAJAN SINGH
Director (Plg. & Dev.).

Chandigarh, the 20th August 1986

CORRIGENDUM

No. 12.V.34/13/2/85-Adm./105.—In the Notification No. 12.V.34/13/2/85-Adm. dated the 9th April, 1986 published at page No. 439 of Gazette of India, Part III, Section 4 notifying the constitution of Local Committee for Mohali area, the following may be read as under :—

1. Against S. No. 8 the word 'Manager' may be read as 'Mohali'.
2. Against S. No. 9 the word 'Manager' may be read as 'Manager'.

By order
M. G. PURI
Regional Director.

Jaipur, the 1st August 1986

CORRIGENDUM

No. 15-V-34-11(1)/86-Estt.—The date of reconstitution of Local Committee of ESI Corporation in Rajasthan Region published in the Gazette of India at Page No. 1326 dated 26-7-86 may be read 14th July, 1986 instead of 4th June, 1986 in English edition.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Regional Director.

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 22nd August 1986

No. P.IV/1(13)/84/A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) (Second Amendment) Regulations, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962—

(a) for regulation 6 the following shall be substituted, namely :—

"6. *Probation* :—(1) Unless otherwise provided for in the relevant Recruitment Rules/Regulations every employee appointed to a post either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years :

Provided that the appointing authority may in suitable cases extend the period of probation ordinarily for not more than one year, and for special reasons, for more than one year, but no employee shall, in any case, be kept on probation for a total period exceeding four years in any post :

Provided further that any decision for extension of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned employee together with reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, employees shall, if considered fit for permanent appointment be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or extension thereof, as the case may be, the appointing authority is of the opinion, that an employee is not fit for permanent appointment such authority, for reasons to be recorded in writing, may, discharge or revert the employee to the post held by him prior to his appointment to the post as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof every employee who is a direct recruit on his initial appointment shall be required to pass such examination and tests as may be prescribed for satisfactory completion of the probation.

(5) The appointing authority may, at its discretion, count any continuous period of service during which an employee has successfully officiated in a post, as period of probation in that post."

(b) after regulation 6A, the following regulation shall be inserted, namely :—

"6B *Quasi permanency* :—A temporary employee shall be deemed to be in quasi-permanent service on satisfactory completion of probation provided he/she has been in continuous temporary service for not less than 3 years and the appointing authority being satisfied, having regard to the quality of his/her work, conduct and character, as to his/her suitability for employment in a quasi permanent capacity, has made a declaration to that effect.";

(c) after regulation 8, the following regulation shall be inserted namely :—

"8A *Liability to serve anywhere in India* :—Every employee of the Organisation shall be liable to serve anywhere in India in any office of the Organisation and also to proceed on tour to any place in India as may be directed in the interest of work".

B. K. BHATTACHARYA
Central Provident Fund Commissioner
&
Secretary, Central Board of Trustees,
Employees' Provident Fund.

FOOT NOTE :—

1. Original regulations published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i) dated the 19th May, 1962 vide G.S.R. No. 691.

Regulation Amended vide :—

2. G.S.R. No. 1483 dated the 15th Sept., 1963 published on 14-9-63.
3. G.S.R. No. 592 dated 31-3-64 published on 11-4-64.
4. G.S.R. No. 896 dated the 2nd June, 1966.
5. G.S.R. No. 1824 dated the 22nd November, 1966.
6. G.S.R. No. 127 dated the 17th Jan., 1967.
7. G.S.R. No. 127 dated the 18th January, 1967.
8. G.S.R. No. 787 dated the 16th May, 1970.
9. G.S.R. No. 1155 dated the 7th August, 1971.
10. G.S.R. No. 1602 dated the 30th October, 1971.
11. G.S.R. No. 149 dated the 7th January 1972.
12. G.S.R. No. 88 dated the 8-1-1972.
13. G.S.R. No. 533 dated the 26-5-1973.
14. G.S.R. No. 547 dated the 26-5-1973.
15. G.S.R. No. 591 dated the 2-6-1973.
16. G.S.R. No. 645 dated the 16-6-1973.
17. Government's notification No. 19(30)/69 PF. I dated the 17-6-1975.
18. Notification No. A.12018/74-PF, I dated the 25-8-76.
19. G.S.R. No. 645 dated the 16-6-1977.
20. G.S.R. No. Nil dated the 28-10-1978.
21. Notification No. Adm. (R.II)14(7)/80/35813 dated the 23-12-1980.
22. G.S.R. No. Nil dated the 7th November 1981 published in the Part-II Section 4 in the Gazette of India.
23. Notification No. P.II/Adm.R.II/14(1)/81/79169 dated the 1-12-1984 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4.
24. Notification No. P.III/Adm.R-II/16/(63)79/AP. dated 29th December, 1984 published in the Gazette of India Part-III, Section-4.

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt-133001, the 21st August 1986

CORRIGENDUM

Ref. No. 45/Genl./Pub/Gazette/446/86/6498—The following corrigendum is issued in respect of Wakf properties detailed below published in Govt. of India Gazette Part III, Section IV in September, 19, 1970 in respect of Distt. Ludhiana, Tehsil Samrala, Village, Bawor, Gow, Isru, Aluna, Mianian, and Ekolohai, under sub-section (ii) of section-5 of the Wakf Act 1954. The corrigendum has become necessary owing to a printing mistake. :—

Sr. No.	District/ Tehsil	Village	Printed entry in Gazette, dated 19 Sep, 1970, Col. No. 5 & 6		Correct entry which may be read in place of existing entry.	
1	2	3	4		5	
			K. M.	Kh. No.	K. M.	Kh.No.
1434	Ludhiana / Samrala	Bawor (184)	9 00	19/5/1	4·00	19/5/1
1462	Ludhiana / Samrala	Goh (217)	1 02	38/19/2	1·02	68/11/2
1495	Do.	Isru (261)	4 00	467	14·00	467
1517	Do.	Aluna (Mianian) (257)	2 08	10/21/2	1·02	168/1
1535	Do.	Ekolohai (326)	6 00	546	6·00	548

K. SHEIKH AHMED,
Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986